न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 109/2022
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

जनरल सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
अंग्रेज सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादीगण

ब ना म

जगजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
जगसीर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
राज कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी लखूवाला जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
सोखी पत्नी श्री विचित्र सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी जालवाला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
जसवीर कौर पत्नी श्री गुरबचन सिह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
सरदूल सिंह पुत्र श्रीमती ज्ञान कौर पत्नी श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी जनतावाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
सुखदीप सिंह पुत्र श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
हरप्रीत सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिद्ध निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
सुखदेव कौर पुत्री श्रीमती रसप्रीत कौर पत्नी श्री विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
0. अर्शदीप कौर पुत्री श्रीमती रसप्रीत कौर – नावालिग जरिये कुदरतीवली पिता विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
1. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा घुदुवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। ....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री रोबिन गाबर (अधिवक्ता वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या–12)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

17 अक्टूबर, 2024

–: निर्णय :–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 की माता तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 की नानी ज्ञान कौर पुत्री श्री बहाल सिंह (मृतका) एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 की माता रसप्रीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह (मृतका) के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 36 जी जी प्रथम पटवार हल्का जोधेवाला भू अनि हल्का चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या नया 2 पुराना 5 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1

ता 3, 8 ता 12 (प्रत्येक 0.253), 13/2 (0.127), 19 ता 22 (प्रत्येक 0.253) कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि में से वादी संख्या 1 का 2353/3163 हिस्सा यानि 2.353 हैक्टेयर हिस्सा व वादी संख्या 2 का 772/3163 हिस्सा यानि 0.772 है० हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अर्सा दराज पूर्व उक्त भूमि का आपसी सहमति से घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 1 उक्त भूमि में से किला नम्बर 2 (0.253 है0) 3 (0.253 0) 8(0.253 0) 9(0.253 0) 12(0.253 0) 13/2(0.127 0) 19(0.253 है०) 20(0.202 है0) 21 (0.253 है0) 22 (0.253 है0) की कुल 2353 है0 कृषि भूमि तथा वादी संख्या 2 उक्त भूमि में से किला नम्बर 1 (0.253 है0) 10 (0.253 है0) 11(0.253 है0) 20 (0.013 है0) की 0.732 है0 भूमि पर काबिज चला आ रही है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा में चली आ रही है। यह कि वादीगण अग्रणी काश्तकार हैं तथा अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है तथा आधुनिक विधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण अपने हिस्सा के रकबा के सुधार कार्य करवा पाने में असमर्थ है तथा आबियाना आदि अदा करने व पानी की बारी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते है। इसलिए वादीगण उक्त रकबा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर प्रतिवादीगण आज कल, आज कल कह कर टालमटोल करते रहे, अब 10.12.2022 को सहमति से बंटवारा करवाने इनकार कर दिया है। यही वाद कारण है । खातेदारा रसप्रीत कौर का देहान्त हो जाने के कारण उसके वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 संयोजित किया गया है तथा रकबा रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 11 को पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रतिवादी संख्या 12 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है।अतः वाद पत्र वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः—

यह कि वाके चक 36 जी जी प्रथम पटवार हल्का जोधेवाला भू अभि. हल्का चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या नया 2 पुराना 5 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12 (प्रत्येक 0.253), 13/2 (0.127), 19 ता 22(प्रत्येक 0.253) कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि की खाता विभाजन की डिक्री जारी की जाकर वादीगण का अलग खाता कायम किया जावे तथा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि जिस प्रकार से इस वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित है, को वादीगण के नाम से किलावाईज अमल दरामद करने का आदेश प्रदान किया जावे। बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामील किया गया। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन बाद/ अदम तामिल प्राप्त नही होने पर वकील प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 06.06.2023 को क्षेत्रिय अखबार में प्रकाशनार्थ तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.12.2023 तक उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राज पैरोकार द्वारा दिनांक 19.12.2023 को जवाब राजपक्ष प्रस्तुत किया गया।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात वकील उभयपक्ष के निवेदन पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। उप तहसीलदार चूनावढ, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 257 दिनांक 02.07.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा उप तहसीलदार चूनावढ, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण को चक 36 जी जी प्रथम, पटवार हल्का जोधेवाला, भू अभि. हल्का चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या नया 2 पुराना 5 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 3.163 हैक्टे0 भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का निम्न से विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है:–

वादी संख्या 01 जनरल सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह को मुरब्बा नं0 15 के किला नं0 3 में 0.506 हैक्टे0, किला नं0 8, 9 में 0.506 हैक्टे0, किला नं0 12 में 0.253 हैक्टे0, किला नं0 13/2 में 0.127 हैक्टे0, किला नं0 19 में 0.253 हैक्टे0, किला नं0 20 में 0.216 हैक्टे0(किला नं0 21 से चिपता), किला नं0 21, 22 में 0.506 हैक्टे0 इस प्रकार कुल 2.367 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि।

वादी संख्या 02 गुरतेज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह को मुरब्बा नं0 15 कि किला नं0 1, 10, 11 में 0.759 हैक्टे0(किला नं0 11 से चिपता) तथा किला नं0 20 में 0.013 हैक्टे0 इस प्रकार कुल 0.772 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि।

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेगें। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 109/2022
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जनरल सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. गुरतेज सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

....वादीगण

ब ना म

1. जगजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. जगसीर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. राज कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी लखूवाला जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. सोखी पत्नी श्री विचित्र सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी जालवाला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. जसवीर कौर पत्नी श्री गुरबचन सिह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. सरदूल सिंह पुत्र श्रीमती ज्ञान कौर पत्नी श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी जनतावाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखदीप सिंह पुत्र श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिख निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. हरप्रीत सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह पुत्री श्रीमती ज्ञान कौर जाति जटसिद्ध निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. गुरदेव कौर पुत्री श्रीमती रसप्रीत कौर पत्नी श्री विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. अर्शदीप कौर पुत्री श्रीमती रसप्रीत कौर – नाबालिग जरिये कुदरतीवली पिता विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा घुदुवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री रोबिन गुम्बर (अधिवक्ता वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या–12)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

–:डिक्री:–

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर एवं प्रतिवादी संख्या 12 पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि – चक 36 जी जी प्रथम, पटवार हल्का जोधेवाला, भू अभि. निरीक्षक चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के

...संख्या नया 2 पुराना 8 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 3.163 हैक्टे0 भूमि का ... प्रकार से विभाजन किया जाता है:-

वादी संख्या 01 जनरल सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह को मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 ... में 0.506 हैक्टे0, किला नं0 8, 9 में 0.506 हैक्टे0, किला नं0 12 में 0.253 हैक्टे0, ... नं0 13/2 में 0.127 हैक्टे0, किला नं0 19 में 0.253 हैक्टे0, किला नं0 20 में ...16 हैक्टे0(किला नं0 21 से चिपता), किला नं0 21, 22 में 0.506 हैक्टे0 इस प्रकार ... 2.367 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि।

वादी संख्या 02 गुरतेज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह को मुरब्बा नं0 16 कि किला नं0 11 में 0.759 हैक्टे0(किला नं0 11 से चिपता) तथा किला नं0 20 में 0.013 ... इस प्रकार कुल 0.772 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि।

अतः डिक्री जारी की जाती है।

रुपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को ... की गयी।

स्वाति गुप्ता
(आर.जे.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

स्वाति गुप्ता
(आर.जे.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:51 IST
Reason: SelfAttested